



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1415-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2020-3(130)ई०एम०-03/2019 दिनांक: 13 अक्टूबर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

श्री देवेन्द्र सिंह (2019130), उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, एत्मादपुर, जनपद आगरा को दयालबाग, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, जनपद-आगरा से एम०टेक० इंजीनियरिंग पार्ट टाइम प्रातः कालीन पाली (समय 6:30 से 9:15 बजे तक) की उच्च शिक्षा हेतु सत्र 2020-2021 में प्रवेश लेने के लिए उ०प्र० पा०का०लि०, में अंगीकृत परिषदादेश सं०-9036-जी०/राविप-एक-125ए/1978 दिनांक 25.01.1979 में निहित निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त अनुमति केवल चालू शैक्षिक वर्ष (सत्र 2020-21) के लिये ही मान्य होगी।
2. उक्त प्रवेश अनुमति/अध्ययन से कारपोरेशन के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा उनकी कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न ही वह अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा करें।
3. उक्त कोर्स के अध्ययन में किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में उक्त अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।
4. उक्त अनुज्ञा के आधार पर श्री देवेन्द्र सिंह (2019130), सहायक अभियन्ता स्थानान्तरण या अवकाश के मामले में किसी प्रकार की वरीयता दिये जाने के पात्र नहीं होंगे।
5. उक्त प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर लेने मात्र से ही, श्री देवेन्द्र सिंह (2019130), सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन किसी भी प्रकार का लाभ देने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या- 1415(1)-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2020 तददिनांक :

पंजीकृत

प्रतिलिपि:- दयालबाग, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, जनपद-आगरा-282005 को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता के एम०टेक० पार्ट टाइम (2020-2021) में प्रवेश हेतु Admission Notice में वर्णित दूरी की अनुमन्यता सम्बन्धी जांच अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हिमांशु वार्ष्णेय)
उप सचिव (अ०प्र०-03)